न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 95/2020 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 नाथू पिता मोतीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 भंवर पिता मोतीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 मंजू पुत्री मोतीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 महावीर पिता मोतीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 रामेश्वर प्रसाद पिता रामनारायण ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 शान्ति पत्नि स्व. मोतीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 सरोज पुत्री मोतीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

—————(प्रार्थीगण)

बनाम

1 छीतर पिता देबीलाल लोधा वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 रामा पिता उगमा गुसाई वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 अर्जुन पिता गोपी बैरवा वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 छोटूपुरी पिता भैरूपुरी वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 कालू पिता माधू गोस्वामी वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 रतनपुरी पिता भागीरथ पुरी वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 प्रहलाद पुरी पिता भैरूपुरी वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8 कैलाश पिता भैरूपुरी वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

—————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 26.02.2021

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956, इस न्यायालय मे दिनांक 25.09.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू. अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि **आ.न. 441 रकबा 1.03 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 25.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 18.02.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि **आ.न. 441 रकबा 1.03 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय [illegible]त् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर [illegible] खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही [illegible]ढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति [illegible] पालनार्थ तहसील[illegible] फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.04 15:54:58 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

Scanned with CamScanner